प्रधान कार्यालय :
डा.पे.सं. 88,
मंगलादेवी मंदिर मार्ग,
पांडेश्वर,
मंगलूरु - 575 001.
कर्नाटक राज्य

कार्पोरेशन बैंक
Corporation Bank

Head Office :
P.B. No. 88,
Mangaladevi Temple Road,
Pandeshwar,
MANGALURU - 575 001.
Karnataka State

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक *A Premier Public Sector Bank*

निवेशक सेवा विभाग INVESTOR SERVICES DEPARTMENT

संदर्भ Ref.: नि.से.वि.ISD/83/2017-18 **दिनांक Date: 3rd जून June 2017**

To, **BSE Ltd,** Corporate Relationship Department Ist Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P J Towers Dalal Street, Fort MUMBAI - 400 001 **http://listing.bseindia.com–Listing Centre** Ref.: Code No.532179	To, The Manager Listing Department, **National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra (E) MUMBAI - 400 051 **https://www.connect2nse.com/LISTING/-NEAPS** Symbol: CORPBANK

प्रिय महोदय Dear Sir,

Notice of the ensuing Twentieth Annual General Meeting of the Bank

We are forwarding herewith "Notice for the ensuing Annual General Meeting" taking place on the 28th June 2017. We request you to upload the same on the official website of the exchange for the information to the shareholders.

भवदीय Yours faithfully,

(एस.के. दाश S.K. Dash)
उप महाप्रबंधक (कंपनी सचिव)
Deputy General Manager (Company Secretary)

संलग्न Encl.: यथोक्त as above

कार्पोरेशन बैंक
प्रधान कार्यालय: मंगला देवी मंदिर मार्ग
मंगलूरु – 575 001
दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक राज्य, भारत

सूचना

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 56 के अनुसरण में **एतद्द्वारा सूचित किया जाता है** कि कार्पोरेशन बैंक के शेयरधारकों की बीसवीं वार्षिक महासभा **बुधवार, 28 जून, 2017 को पूर्वाह्न 10.30 बजे,** सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, पांडेश्वर, मंगलूरु - 575 001, कर्नाटक राज्य में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार विमर्श किया जाएगा:

मद सं. 1:
बैंक के 31 मार्च, 2017 के **पृथक एवं समेकित** लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के **पृथक एवं समेकित** लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के लिए बैंक के कार्य-निष्पादन तथा क्रियाकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार विमर्श, अनुमोदन तथा स्वीकार करना।

मद सं. 2 :
नई इक्विटी शेयरों के निर्गम और/या बासेल III दिशानिदेशों के अनुसार अतिरिक्त टायर-I या टायर -II पूंजी के निर्गम द्वारा बैंक की पूंजी जुटाना

विशेष संकल्प के रूप में निम्नांकित संकल्प पर विचार करना और उपयुक्त पाए जाने पर उस पर विचार करना

संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (''अधिनियम'') की धारा 3(2बी), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (''**योजना**'') के खण्ड 20, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (उसमें किसी आशोधन या पुनः अधिनियमन सहित), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीकरण करार के संबंधित प्रावधानों के अनुसरण में और कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) **विनियम**, 1998 के विनियम 4ए के प्रावधानों तथा भारत सरकार (''**जीओआई**''), भारतीय रिज़र्व बैंक (''**आरबीआई**''), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (''**सेबी**'') या संबंधित अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे नियम, शर्त और संशोधन जिसका बाद में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन और सहमति ली जाएगी, जो **भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम**, 2009 (**अर्थात सेबी आईसीडीआर विनियम**) यथा संशोधित विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत के बाहर रहेनेवाले प्रवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों के निर्गम

CORPORATION BANK
HEAD OFFICE : MANGALA DEVI TEMPLE ROAD
MANGALURU – 575 001
D.K. DISTRICT, KARNATAKA STATE, INDIA

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 56 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that the Twentieth Annual General Meeting of the Shareholders of CORPORATION BANK will be held on **Wednesday, 28th June 2017, at 10.30 a.m.** at Millennium Building, Corporation Bank, Head Office, Mangala Devi Temple Road, Pandeshwar, Mangaluru – 575 001, KARNATAKA State to transact the following business:

Item No. 1:
To discuss, approve and adopt the Audited **Standalone and Consolidated** Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2017, **Standalone and Consolidated** Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2017, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2:
Raising of Capital of the Bank by way of issuance of fresh Equity Shares and/or by issuance of Additional Tier–I or Tier–II capital as per Basel III Guidelines.

To consider and if thought fit, to pass, the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 3(2B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (**"**Act**"**), Clause 20 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 ("**Scheme**"), the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 ("**Regulations**") and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 [**the SEBI (ICDR) Regulations**], The SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [**the SEBI (LODR) Regulations**] as amended, the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Securities by a Person Resident Outside India), Regulations, 2000 as amended and in accordance with the applicable rules, regulations,

का अंतरण) विनियमन, 2000, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य समस्त लागू विधि और समय-समय पर लागू अन्य समस्त सक्षम प्राधिकारियों 1949 के अंतर्गत अधिसूचनाओं/परिपत्रों, अगर कोई हो, के अनुसार संशोधन किया गया और उसके अनुरूप बनाया गया बशर्ते स्टाक एक्सचेंज के साथ समान सूचीबद्ध करार में बैंक शामिल हुआ हो और वहाँ बैंक के शेयर को सूचीबद्ध किया गया हो, बैंक के सदस्यों की सहमति हो तो **बैंक के निदेशक मण्डल** (तत्पश्चात् **'निदेशक मंडल'** कहा गया है, जिस शब्द में बोर्ड द्वारा इस विनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित उसके अधिकारों का प्रयोग करने हेतु गठित/गठित की जानेवाली समिति (याँ) शामिल समझा जाएगा, को भारत में या भारत के बाहर प्रलेखों/विवरणिकाओं या ऐसे अन्य प्रलेखों के द्वारा एक या अधिक हिस्सों (यथा लागू विधि द्वारा अनुमत निर्गम के ऐसे भाग के फर्म आबंटन पर आरक्षण और/या प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर तथा व्यक्तियों की ऐसी श्रेणी हेतु प्रावधान सहित) का सृजन, प्रस्तुत और निर्गम करने हेतु अनुमोदन, सहमति, संस्वीकृति के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है:

क) नकदी हेतु ₹2 के अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर की ऐसी संख्या (चाहे वह बाजार मूल्य या निर्गम मूल्य या निम्नतम मूल्य में बट्टा या प्रीमियम पर जारी किया जाए) जो संशोधन (अगर कोई हो) या भविष्य में ऐसा अधिनियम बनाया जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा किसी भी समय धारित प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 51% से कम न हो, के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3(2क) के अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूंजी में उच्चतम सीमा के रूप में कुल ₹3000 करोड़ की प्राधिकृत पूंजी के भीतर विद्यमान प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी को रखा जाएगा।

ख) एक या अधिक हिस्सों में निजी प्लेसमेंट/सार्वजनिक निर्गम आधार पर सबोर्डिनेटेड डिबेंचर, बॉण्ड, परपेचुअल गैर संचयी अधिमानित शेयर और/या अन्य कर्ज प्रतिभूति/अधिमानित शेयर (संचयी या गैर संचयी) सहित किन्तु उन्हीं मदों तक सीमित न होते हुए भी, परपेचुअल डैब्ट लिखतों, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों इत्यादि जिसे भारिबैं द्वारा चयनित और वर्गीकृत टायर I या टायर II पूंजी के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है, की ऐसी संख्या को;

एक या अधिक सदस्य, बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, आप्रवासी भारतीय (**एनआरआई**), कंपनी, निजी या सार्वजनिक, निवेशक संस्थान, सीमित देयता भागीदारी (**एलएलपी**) सोसायटी, न्यास, अनुसंधान संगठन, विदेशी संस्थागत निवेशक (**एफआईआई**) जैसे आहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रेता (**क्यूआईबी**), बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय परिपक्वता निधि, वैकल्पिक निवेश निधि, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनी, भविष्य निधि, पेंशन निधि, विकासशील वित्तीय संस्थान या अन्य इकाई, प्राधिकारी या निवेशकों की अन्य श्रेणी या उपरोक्त में कोई अन्य केवल से जो विद्यमान विनियमों/दिशानिदेशों के अनुसार बैंक की इक्विटी/अधिमानित शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश हेतु पात्र है, एक या अधिक हिस्सों में **₹3,500 करोड़** (रुपये तीन हजार पाँच सौ करोड़ मात्र) से अनधिक राशि हेतु बैंक द्वारा विनियोजित माना जा सकता है।

guidelines, circulars and clarifications if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent **of the members of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank** (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document(s)/prospectus or such other document(s), in India or abroad :

a) Such number of equity shares of the face value of ₹2 each for cash (whether at a discount or premium to the market price or issue price or floor price) which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of ₹3000 crore of the bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act, or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity share capital of the Bank;

b) Such number of perpetual debt instruments, Non-Convertible Debentures including but not limited to Subordinated Debentures, Bonds, Perpetual Non-Cumulative Preference Shares andor other debt securities/ Preference Shares (cumulative or non-cumulative) etc., on a private placement/public issue basis, in one or more tranches which may classify for TIER I or TIER II Capital as identified and classified by RBI;

to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies, private or public, Investment Institutions, Limited Liability Partnerships (**LLPs**) Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Institutional Investors ("**FIIs**"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Alternate Investment Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are eligible to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above, as may be deemed appropriate by the Bank for an amount not exceeding **₹3,500 Crore** (Rupees Three Thousand Five Hundred Crore only) in one or more tranches".

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** अधिक आबंटन या ग्रीन शू ऑप्शन सहित या रहित पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, निजी प्लेसमेंट, कर्मचारी स्टाक ऑप्शन स्कीम या बैंक का कर्मचारी स्टॉक क्रेता स्कीम या इश्यू का ऐसी अन्य तरीके के अनुकरण में आहर्ता प्राप्त संस्थान प्लेसमेंट के द्वारा भी इक्विटी/अधिमानित शेयर/सिक्यूरिटी को इश्यू, आफ़र या आबंटित किया जाता है और बोर्ड ऐसे समय में या ऐसे समयावधि में और ऐसे नियमों एवं शर्तों के अनुसार अगर इसे अपने विवेक से उपयुक्त पाता है तो इक्विटी/अधिमानित शेयर/सिक्यूरिटी का इश्यू, आफ़र या आबंटन को उक्त अधिनियम के प्रावधानों, भारिबैं के दिशानिदेशों, सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों और भारिबैं, सेबी एवं किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य सभी लागू दिशा निदेशों के अनुसार बनाया जाता है।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** उपरोक्त इश्यू के संबंध में बोर्ड ऐसे सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुरूप ऐसे मूल्य या उस मूल्य से नीचे नहीं पर इस तरीके से निर्णय ले सकता है और जहाँ आवश्यक हो, अग्रणी हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों के परामर्श से और/या ऐसे नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए सेबी(आईसीडीआर) विनियमों, अन्य विनियमों एवं लागू अन्य सभी कानून, नियम, विनियम और दिशानिदेश के आलोक में बोर्ड को यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि क्या बैंक के विद्यमान शेयरधारक प्रस्तावित निवेशक हैं या नहीं।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के प्रावधानों, अधिनियम का प्रावधान, विनियमन का प्रावधान, आईसीडीआर विनियमन का प्रावधान, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमन, 2000 के प्रावधानों संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के साथ समान सूचीबद्धता करार के प्रावधानों के अनुरूप और सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, भारिबैं, औद्योगिक नीति और पदोन्नति विभाग, वाणिज्य मंत्रालय और यथा आवश्यक अन्य सभी प्राधिकारी (इसके बाद इसे समन्वित रूप से **उपयुक्त प्राधिकारी** के रूप में संदर्भित किया जाएगा।) और बोर्ड इसका अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या संस्वीकृति करते समय (जिसे इसके बाद **अपेक्षित अनुमोदन के** रूप में संदर्भित किया जाएगा) प्लेसमेंट प्रलेख और/या अन्य ऐसे प्रलेख/लेखन/परिपत्र/ज्ञापन के माध्यम से तथा आईसीडीआर विनियमों और उस समय प्रचलित विधि के अन्य प्रावधानों के अनुरूप बोर्ड द्वारा निर्धारित इस प्रकार से एवं ऐसे मूल्य, नियमों और शर्तों, उनमें से किसी द्वारा निर्धारित कतिपय शर्तों के अधीन समय-समय पर एक से अधिक हिस्सों में इक्विटी शेयर/अधिमानित शेयर या वारंट के अलावा किसी अन्य प्रतिभूति के निर्गम, आफ़र और आबंटन अपने विवेक से इस प्रकार कर सकता है कि आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार आहर्ता प्राप्त संस्थान प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के अनुकरण में क्यूआईबी आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में यथा पारिभाषित, बैंक की इक्विटी पूंजी में किसी भी समय केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम न हो तथा निर्गमित इक्विटी शेयरों के

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment of equity/preference shares/securities may also be by way of Qualified Institutions Placement (QIP), Follow on public issue, rights Issue, private placement, Employees Stock Option Scheme or Employee Stock Purchase Scheme of the Bank, or such other mode of issue as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment or Green Shoe option and that such offer, issue, placement and allotment of equity/preference shares/securities be made as per the provisions of the Act, RBI Guidelines, the SEBI ICDR Regulations and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and/or underwriters and/or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the provisions of Act, the provisions of Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "**the Appropriate Authorities**") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "**the requisite approvals**") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares/preference shares or any securities other than warrants, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a Qualified institutions placement (QIP) as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents/writings/circulars/memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as

प्रीमियम का आंतरिक मूल्य आईसीडीआर विनियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुरूप निर्णीत मूल्य से कम न हो।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अध्याय VIII के अनुकरण में आहर्ता प्राप्त संस्थान प्लेसमेंट की स्थिति में

क) प्रतिभूतियों का आबंटन सेबी (आईसीडीआर) के अध्याय VIII के आशय के भीतर आहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रेता को ही केवल किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्ण प्रदत्त होगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 12 माह के भीतर अथवा समय-समय पर सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अंतर्गत अनुमत ऐसे अन्य समय में पूरा कर लिया जाएगा।

ख) बैंक निम्नतम मूल्य पर पाँच प्रतिशत से अनधिक बट्टा पर शेयरों को प्रस्तुत करने हेतु आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 85(1) के परंतुक का अनुसरण करेगा।

ग) प्रतिभूतियों के निम्नतम मूल्य के निर्धारण हेतु संबंधित तिथि सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अनुरूप होगी।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को अपेक्षितानुसार प्रस्ताव में आशोधन करने का अधिकार होगा या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्स्चेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, या उसको जारी करने, आबंटित करने तथा सूचिबद्ध करने के अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी देने के समय ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा लागू किए गए आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार होगा।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों, अगर कोई हो, को उपरोक्त प्रतिभूतियों के निर्गम और आबंटन विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारिबैं के अनुमोदन से लागू किन्तु इस अधिनियम और यथा लागू नियामकों के अंतर्गत निर्दिष्ट समग्र समय सीमा के भीतर होगा।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** निर्गम किया जाने वाला उक्त नया इक्विटी शेयर यथा संशोधित कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 1998 के अनुसार और ऐसे स्पष्टीकरण के समय प्रभावी सांविधिक दिशा निदेशों के अनुरूप लाभांश, अगर कोई हो, सहित बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों की समतुल्यता को तय किया जाएगा।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इक्विटी शेयरों को उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा जहाँ बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किया जाता है।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** किसी अग्रणी प्रबंधक, बैंकर, हामीदार, निक्षेपागार, विधि सलाहकार, निगरानी एजेंसी और उपरोक्त प्रतिभूतियों को इस प्रकार से आफ़र करने में शामिल या संबंधित ऐसी सभी एजेंसियों के साथ करार करने और उसे निष्पादन करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाता है तथा कमीशन, दलाली और शुल्क या इस प्रकार के कोई अन्य के द्वारा ऐसी सभी संस्थानों एवं एजेंसियों को प्रतिपूर्ति करेगा और ऐसी सभी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, प्रलेखों इत्यादि के साथ करार एवं उसका निष्पादन भी करेगा।''

may be prevailing at that time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months, from the date of this resolution, or such other time as may be permitted under the SEBI (ICDR) Regulations from time to time."

b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) the Relevant Date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or where the Debt Securities to be issued are proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended and shall rank in all respects pari-passu with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies), Legal Advisor(s), Monitoring Agencies and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** उपरोक्त को प्रभावी करने के उद्देश्य से अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से बोर्ड निवेशकों के उस वर्ग सहित जिन्हें उक्त प्रतिभूतियों को आबंटित किया जाना है, सहित उक्त इश्यू के स्वरूप और शर्तों, प्रत्येक हिस्से में आबंटित किए जाने की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम, अगर कोई हो, सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/प्रतिभूतियों का अंतरण/वारंटों का प्रयोग/प्रतिभूतियों का उन्मोचन, ब्याज दर, उन्मोचन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमानित शेयरों/परिवर्तन या उन्मोचन या निरस्तीकरण के बाद अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, उनका मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के परिवर्तन पर प्रीमियम या बट्टा, ब्याज दर, परिवर्तन की अवधि, रिकार्ड की तिथि या बही बंदी और संबन्धित या आकस्मिक मदें, पूरी तरह बोर्ड के विवेक पर भारत के अंदर और/या बाहर में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता को निर्धारित करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** अगर उपरोक्त प्रतिभूतियों का अंशदान नहीं हो पाता है तो बोर्ड जैसा उपयुक्त समझे और जैसा विधि द्वारा अनुमत हो, अपने विवेक से उसका निपटान इस प्रकार कर सकता है।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य हेतु निदेशक मंडल को ऐसी समस्त कार्रवाई, कार्य, मामले और काम करने हेतु तथा उक्त ईक्विटी शेयरों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी प्रश्न, कठिनाइयों और संदेश को निपटाने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में आवश्यक, उचित और वांछनीय समझा जाए। इसके अलावा उसे ऐसी समस्त कार्रवाई, कार्य, मामले और काम आवश्यक, वांछनीय और अनिवार्य दस्तावेज़ों और कागज़ात को अंतिम रूप देकर निष्पादित करने जो कि निदेशक मंडल के पूर्ण विवेक में उपयुक्त, उचित और वांछनीय हों, इसके लिए उन्हें शेयरधारकों से अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन माँगना न पड़े और वे इस प्रकार प्राधिकृत हों मानो इस संकल्प के प्राधिकार से शेयरधारकों ने उन्हें स्पष्टतया अनुमोदन दिया हो।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के निदेशक मण्डल को पूर्वोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बोर्ड की प्रतिभूति आबंटन समिति, या प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) या कार्यपालक निदेशक (गण) या मुख्य वित्तीय अधिकारी या बैंक के कंपनी सचिव को अपने सभी या किसी अधिकार को प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा।''

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थानः मंगलूरु
दिनांकः 29.05.2017

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the securities, the price, premium or discount on issue/conversion of securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred jointly or severally to Securities Allotment Committee of the Board or the Managing Director and Chief Executive Officer (MD and CEO) or to the Executive Director/(s) or the Chief Financial Officer or the Company Secretary of the Bank to give effect to the aforesaid Resolutions."

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

Place : Mangaluru
Date : 29.05.2017

नोट

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

जिस शेयरधारक को बैठक में भाग लेने का अधिकार है, उसे अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कार्पोरेशन बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

प्रॉक्सी के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो कार्पोरेशन बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।

विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत देनेवाला, लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रॉक्सी फार्म प्रभावी होने हेतु बैठक प्रारंभ होने **से कम-से-कम चार दिन पहले** अर्थात् **शुक्रवार, 23 जून 2017 को** कार्यसमय की समाप्ति अर्थात् **अपराह्न 5.00 बजे** तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु-575 001, कर्नाटक राज्य में प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैंक के शेयरधारक कंपनी निकाय का विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, वार्षिक महासभा में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्यप्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तिथि से **कम-से-कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, 23 जून, 2017 को कार्य समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक** या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का. मंगलूरु - 575 001, कर्नाटक राज्य को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

3. संयुक्तधारकों के अधिकारों का प्रयोग

यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में है, तब केवल पहले नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने हेतु पात्र होगा और वह ही बैठक में वोट डालने के लिए पात्र होगा।

4. सदस्यों के रजिस्टर की बंदी

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 12 के अनुसरण में बैंक के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियाँ, **गुरुवार 22 जून, 2017 से बुधवार, 28 जून, 2017** (दोनों दिनों सहित) बीसवीं वार्षिक महासभा के संबंध में तथा उक्त वार्षिक महासभा में भाग लेने तथा अंतिम लाभांश, यदि कोई हो, को प्राप्त करने हेतु पात्र शेयरधारकों के नाम निर्धारित करने के उद्देश्य से बंद रहेंगी इसके लिए रिमोट इ-वोटिंग हेतु **गुरुवार, 22 जून, 2017** को **कट-ऑफ** तिथि माना जायेगा।

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Corporation Bank.

As per the Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office at Mangala Devi Temple Road, Mangaluru – 575 001, Karnataka State, **not later than FOUR DAYS before** the date of the meeting, i.e., **on or before the closing hours i.e., 5.00 p.m. of Friday, the 23rd June, 2017.**

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorised representative of anybody corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank, with the Company Secretary, Corporation Bank, Investor Services Department, H.O., Mangalore – 575 001 Karnataka State, not later than **FOUR DAYS before** the date of the Meeting i.e., **on or before the closing hours i.e., 5.00 p.m. of Friday, the 23rd June, 2017.**

3. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

If shares are in the names of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote.

4. CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

Pursuant to Regulation 12 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Thursday, the 22nd June, 2017 to Wednesday, the 28th June, 2017** (both days inclusive) in connection with the Twentieth Annual General Meeting and **Thursday, the 22nd June, 2017** be treated as **cutoff date** for entitlement of shareholder for remote e-voting or voting a the Annual General Meeting.

5. उपस्थिति पत्रक –सह–प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पत्रक –सह–प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ अनुबंधित है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थान पर इसे सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पत्रक –सह–प्रवेश पत्र में यथास्थिति "प्रॉक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी मामला हो, उल्लिखित करना चाहिए।

6. सूचना तामिल करना

20वीं वार्षिक महासभा की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति अन्य बातों के साथ–साथ ई–वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति सूचित करते हुए उपस्थिति पत्रक एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिन्होंने अपनी ई–मेल आईडी संसूचना के लिए बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत कारवाई है और इसकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध न किया हो। जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत न करवाया हो, उन्हें 20वीं वार्षिक महासभा की सूचना की कागज़ी प्रति अन्य बातों के साथ–साथ ई–वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति सूचित करते हुए उपस्थिति पत्रक एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ अनुमत विधि द्वारा भेजी जा रही है।

7. कार्यसूची पर मदों से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण अनुसूची के साथ संलग्न है:

8. नोटिस में दिया गया व्यवसाय कार्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के द्वारा किया जायेगा साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साधनो से वोटिंग की सुविधा बैंक उपलब्ध करायेगा।

इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग

क) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक, अपने सदस्यों को 20वीं वार्षिक महासभा (एजीएम) में प्रस्तावित संकल्पों को पास करने हेतु अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने हेतु ई–वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तुत करता है। सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक की जगह के अतिरिक्त अन्य जगह से भी कर सकते हैं (रिमोट ई–वोटिंग)।

ख) इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम से वोटिंग करने की सुविधा (इंस्टा पोल) को बैठक के स्थान पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा बैठक में आने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट वोटिंग(इंस्टा पोल) द्वारा वोटिंग नहीं किया है वे अपना वोट दे सकेंगे ।

ग) जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपने मत का प्रयोग किया है वे भी बैठक में भाग ले सकेंगे लेकिन पुनः मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि शेयरधारक के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करते हुए मत देना अनिवार्य नहीं है और निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुए एक शेयरधारक इस सुविधा का उपयोग अपने/उनका/उनकी विवेक के अनुसार कर सकते हैं–

घ) बैंक ने ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी) को नियुक्त किया है।

5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

6. Serving of Notice

Electronic copy of the Notice of the 20th Annual General Meeting of the Bank inter alia indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s) for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their e-mail address, physical copies of the Notice of the 20th Annual General Meeting of the Bank inter alia indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form, are being sent in the permitted mode.

7. The explanatory statement to the item on the agenda is annexed hereto.

8. The business set out in the Notice will be transacted through electronic voting system and the Bank is providing facility for voting by electronic means.

Voting through electronic voting system

a) In compliance with provisions of Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Bank is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the 20th Annual General Meeting (AGM) by electronic means. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ('remote e-voting').

b) The facility for voting through electronic voting system ('Insta Poll') shall be made available at the Meeting and the members attending the Meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the Meeting through 'Insta Poll'.

c) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again. It is hereby clarified that it is not mandatory for a shareholder to vote using the remote e-voting facility, and a shareholder may avail of the facility at his/her/their discretion, subject to compliance with the instructions prescribed below.

d) The Bank has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") as the Agency to provide e-voting facility.

ङ) मतदान अधिकार की गणना कट ऑफ तिथि अर्थात गुरुवार 22 जून 2017 को सदस्य/लाभार्थी स्वामी द्वारा धारित शेयरों के प्रदत्त मूल्य के आधार पर की जायेगी जो इस शर्त के अधीन होगा कि केंद्र सरकार को छोड़कर अन्य कोई शेयरधारक बैंक के कुल शेयरधारकों के मताधिकार के 10 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता हेतु मताधिकार के लिए पात्र नहीं होगा।

च) एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपाजिटरी के पास रखे लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि गुरुवार 22 जून, 2017 को दर्ज होगा वही रिमोट ई-वोटिंग/इंस्टा पोल को लिए पात्र होगा।

छ) एक व्यक्ति जो उक्त बैठक की नोटिस भेजे जाने के बाद बैंक का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि गुरुवार, 22 जून, 2017 को शेयर धारण करता है वह निम्नलिखित प्रकार से यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है isd@corpbank.co.in को लिखकर या शेयर धारिता के अभिप्रमाणित साक्ष्य के साथ डाक द्वारा या रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति के पर्याप्त पहले कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. को vlakshmi.p@karvy.com को लिखकर।

ज) रिमोट ई-वोटिंग **24 जून, 2017** (प्रातः10 बजे) से शुरू होकर **27 जून, 2017** (सायं 5.00 बजे) को समाप्त होगी तथा इस तिथि एवं समय के बाद रिमोट इ-वोटिंग की अनमति नहीं होगी। **गुरुवार, 22 जून, 2017 (कट-आफ तिथि)** को इलेक्ट्रानिक या भौतिक रूप से बैंक शेयरों को धारण करने वाले शेयरधारक इस अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग इस अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक ढंग से कर सकते हैं। इसके बाद कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट इ-वोटिंग मॉड्यूल को ब्लाक कर दिया जायेगा। यदि शेयरधारक किसी संकल्प पर अपना वोट दे देता है तब बाद में इसके परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

झ) संयुक्त धारकों के मामले में, लागइन आइडी/यूजर आइडी को प्रथम शेयरधारक के नाम से भेजा जायेगा। तदनुसार प्रथम शेयरधारक को भेजे गए यूजर आइडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करते हुए दिए जाने वाले मत को सभी शेयरधारकों की ओर से माना जायेगा क्योंकि कार्वी की रिमोट इ-वोटिंग की सुविधा का उपयोग करते हुए जो शेयरधारक मतदान करता है वह सभी संयुक्त शेयरधारकों की ओर से मतदान करता है। प्रथम शेयरधारक से तात्पर्य धारित शेयरों में पंजीकृत पहला नाम है।

ञ) केवल वह शेयरधारक जो मतदान करने हेतु पात्र है वहीं रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान हेतु भी पात्र होगा। कोई व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार नहीं है इस सूचना को केवल सूचनार्थ समझें।

ट) **मेसर्स ईजी लॉ, मुंबई** के **श्री अंकुर कुमार, एडवोकेट** (बार काउंसिल पंजीयन सं. **एमएएच/5718/2011**) को इंस्टपोल तथा रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी संवीक्षा हेतु मतपत्र-निरीक्षक नियुक्त किया गया है तथा उन्होंने नियक्ति हेतु अपनी सहमति दी है एवं इस हेतु उपलब्ध रहेंगे।

ठ) मतपत्र-निरीक्षक पहले बैठक में हुए मतदान के मतों की गणना करेगा (इंस्टा वोट), तत्पश्चात महासभा की बैठक के तीन दिन के भीतर दो

e) Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the member/beneficial owner (in case of electronic shareholding) as on the cut-off date i.e., Thursday, June 22, 2017. Subject to the condition that no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

f) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., Thursday, the June 22 , 2017 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/Insta Poll.

g) Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e., Thursday, June 22, 2017, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned below: by writing to the Bank at isd@corpbank.co.in or by post with authenticated proof of shareholding or write to KARVY Computershare Pvt. Ltd. at vlakshmi.p@karvy.com, sufficiently before the closing of the remote e-voting.

h) The remote e-voting period commences on **24th June, 2017** (10.00 a.m.) and ends on **27th June, 2017** (5.00 p.m.) and the remote e-voting shall not be allowed beyond this date and time. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on **Thursday, June 22, 2017 (cut off date)**, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be blocked by Karvy Computershare Pvt. Ltd., for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

i) In case of Joint holders, login ID/User Id and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote using user ID and Password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders as the shareholder who casts the vote through the remote e-voting services of Karvy, is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of shares, whose name is first registered against the shares held.

j) Only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through remote e-voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.

k) **Mr. Ankur Kumar, Advocate** (Bar Council Registration **MAH/5718/2011) of M/s. Ezy Laws, Mumbai**), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the Insta Poll and remote e-voting process in a fair and transparent manner and he has communicated his willingness to be appointed and will be available for same purpose.

l) The Scrutinizer shall, first count the votes cast at the meeting (insta votes), thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two

गवाहों जो बैंक या संगठन के कर्मचारी न हों उनके समक्ष रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाले गए मतों को अनब्लाक करेगा, अध्यक्ष को या उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किए गए व्यक्ति को पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों की समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा एवं परिणाम को जारी किए जाने हेतु इस रिपोर्ट को प्रतिहस्ताक्षरित भी करेगा।

द) घोषित परिणाम को मतपत्र-निरीक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com तथा कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही परिणाम का स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई तथा बीएसई) को भी सूचित किया जाना चाहिए ।

ध) आवश्यक मतों के प्राप्त होने के अधीन संकल्प को बैठक की तिथि 28 जून, 2017 को जारी मान लिया जायेगा।

न) ई-वोटिंग के लिए अनुदेश एवं अन्य सूचनाएँ निम्नानुसार हैः

रिमोट ई-वोटिंग हेतु अनुदेश निम्नानुसार है:

I क. यदि किसी शेयरधारक को प्राधिकृत ई-वोटिंग प्लैटफार्म प्रदाता कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. से ईमेल प्राप्त होता है (उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है):

i) वोटिंग के दौरान अपने वेब ब्राउज़र को खोलें और **'https://evoting.karvy.com'** में नैविगेट करें।

ii) पोस्टल बैलट फार्म में उल्लिखित लॉगइन विवरण (अर्थात् यूज़र आईडी और पासवर्ड) प्रविष्ट करें। अपनी फोलियो/क्लाइंट आईडी आपकी यूज़र आईडी होगी।

यूज़र-आईडी	डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए:- क) एनएसडीएल के लिए:- 8 कैरेक्टर वाली डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी ख) सीडीएसएल के लिए:- 16 अंकों वाली लाभार्थी आईडी कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए:- • EVEN उसके बाद बैंक में पंजीकृत फोलियो संख्या
पासवर्ड	आपका विशिष्ट पासवर्ड इलेक्ट्रॉनिक सूचना के ज़रिए ईमेल द्वारा भेजा है।
कैपचा	सत्यापन कूट प्रविष्ट करें अर्थात् सुरक्षा कारणों से ठीक उसी तरीके से वर्णों और संख्याओं को प्रविष्ट करें।

iii) किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण/वर्तमान पासवर्ड के लिए **ई-वोटिंग प्लैटफार्म प्रोवाइडर अर्थात कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.** की टोल फ्री सं. 18003454001 पर संपर्क करें।

iv) उपयुक्त तरीके से ब्यौरे प्रविष्ट करने के बाद "LOGIN" पर क्लिक करें।

v) डीमैट/कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब पासवर्ड बदलने का मेनू पाएंगे जिसमें उन्हें नए पासवर्ड की फील्ड में अपना लॉगइन पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में न्यूनतम आठ कैरेक्टर होने हैं जिनमें कम से कम एक अप्पर केस (A-Z) वाला, एक लोवर केस (a-z) वाला, एक संख्या (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर हो। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसे पुनः प्राप्त करने

witnesses not in the employment of the Bank and make, not later than three days of conclusion of the Annual General Meeting, a consolidated scrutiniser's report of the total votes cast in favour or against, if any, and submit the report to the Chairman or a person authorised by him in writing and shall countersign the same to declare the result of voting forthwith.

m) The Results declared alongwith the consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.corpbank.com and on the website of Karvy Computershare Pvt. Ltd. The results shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges (NSE & BSE).

n) Subject to receipt of requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of the Meeting, i.e. June 28, 2017.

o) Instructions and other information relating to remote e-voting:

The instructions for remote e-voting are as under:

IA. In case a shareholder receives an email from Karvy Computershare Pvt. Ltd.–the authorised e-Voting Platform provider, [for shareholders whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s)]:

i) Open your web browser on your computer/on the enabled gadgets during the voting period and navigate to **https://evoting.karvy.com**

ii) Enter the login credentials (i.e., user-id & password) mentioned in the e-mail /on the Attendance slip. Your folio/DP Client ID will be your User-ID.

User – ID	For Members holding shares in Demat Form:- a) For NSDL : 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID b) For CDSL :- 16 digits beneficiary ID For Members holding shares in Physical Form:- • EVEN followed by Folio Number registered with the Bank.
Password	Your Unique password is forwarded through the electronic notice via email
Captcha	Enter the Verification code i.e., please enter the alphabets and numbers in the exact way as they are displayed for security reasons.

iii) Please contact toll free No. 1800 345 4001 of **e-Voting Platform provider, i.e. Karvy Computershare Pvt. Ltd.,** for any further clarifications.

iv) After entering these details appropriately, click on "LOGIN".

v) Members holding shares in Demat/Physical form will now reach Password Change menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new

के लिए आप गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि कर सकते हैं । आप अपने संपर्क ब्येरों को भी अद्यतन कर सकते हैं। **इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।**

vi) कार्पोरेशन बैंक या भारत में किसी अन्य बैंक/कंपनी में, जिसमें आप मतदान करने के लिए पात्र हैं, भावी ई-वोटिंग संकल्प (संकल्पों) पर वोटिंग करने के लिए नए पासवर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते कि वह बैंक /कंपनी ई-वोटिंग के लिए कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के ई-वोटिंग प्लैटफार्म का चयन करती है।

vii) आपको नए ब्यौरों अर्थात् पासवर्ड आदि के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।

viii) सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद 'EVEN' अर्थात् 'बैंक का नाम' चुनने के लिए सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा।

ix) वोटिंग पृष्ठ पर आपको संकल्प का विवरण दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' विकल्प होगा। 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' के अंतर्गत शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाते हैं) प्रविष्ट करें या विकल्प के तौर पर आप आंशिक रूप से कोई संख्या 'FOR' में प्रविष्ट कर सकते हैं और आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन FOR/AGAINST' में कुल मिलाकर अपनी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शेयरधारक वोट नहीं डालना चाहता है तो 'ABSTAIN' चुने।

x) मतदान करने के लिए संकल्प को चुनने के बाद "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण का बॉक्स दिखाई देगा। अगर आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने विकल्प को परिवर्तित करें।

xi) एक बार आप संकल्प पर अपने वोट को "CONFIRM" करते हैं, आपको अपने वोट को बदलने की अनुमति नहीं होगी और इसे आपके द्वारा अंतिम वोटिंग माना जाएगा।

xii) कंपनी निकाय सहित संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर अन्य) के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की स्कैन की गई प्रति (यह फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में एटैचमेंट के रूप में हो), जिसे जिस बैठक में वह संकल्प पारित किया गया, उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, और उसके साथ वोट करने के लिए प्राधिकृत विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर ईमेल के ज़रिए evoting@karvy.com को प्रति अंकित करते हुए evoting@ezylaws.com पर स्क्रूटिनाइज़र को भेजें। फाइल का नाम "the body corporate Name..... EVEN" फार्मेट में हो। उपर्युक्तानुसार स्कैन की गई प्रतियाँ ई-वोटिंग से पहले या तुरंत बाद ई-मेल द्वारा भेजी जानी है। अगर वह ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले स्क्रूटिनाइज़र/कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त नहीं होती है, तो की गई ई-वोटिंग कंप्यूटर सिस्टम में अस्वीकृत की जाएगी।

password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. You may also enter the Secret Question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. You can also update your contact details. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**

vi) The new password can be used for voting on future e-voting resolution(s) for Corporation Bank or any other Bank/Company in India on which you are eligible to vote, provided that Bank/Company opts for e-Voting through Karvy Computershare Private Limited, e-Voting Platform provider.

vii) You need to login again with the new credentials i.e. with new password etc.

viii) On successful login, system will prompt to select the 'EVEN' i.e., 'Bank Name'.

ix) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option 'FOR/AGAINST/ ABSTAIN' for voting. Enter the number of shares (which represents number of votes) under 'FOR/AGAINST/ ABSTAIN' or alternatively you may partially enter any number in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR/AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding/voting right. If the shareholder does not want to cast, select 'ABSTAIN'.

x) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

xi) Once you 'CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote and it will be treated as final voting by you.

xii) Institutional shareholders including body corporates (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (this file be as an attachment in PDF Format) of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to **evoting@ezylaws.com** with a copy marked to **evoting@karvy.com**. The file should be named in the format of "the body corporate Name----------EVEN ----------". The scanned copies are to be sent as mentioned above by e-mail, before or immediately after casting the remote e-voting. However, in case the same do not reach scrutinizer/Karvy Computershare Pvt. Ltd., before closure of remote e-voting, the remote e-voting so exercised will be rejected in computer system.

I ख. यदि किसी शेयरधारक को वार्षिक महासभा (एजीएम) की सूचना की कागज़ी प्रति प्राप्त होती है (उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है और जो कागज़ी प्रति का अनुरोध करते हैं)

i) एजीएम के उपस्थिति पत्रक के नीचे प्रारंभिक पासवर्ड दिया गया है।

EVEN (ई-वोटिंग ईवेंट नंबर)

यूज़र आईडी पासवर्ड

ii) कृपया वोट डालने के लिए उपर्युक्त क्रमांक (i) से क्रमांक (xii) तक दिए कदमों का अनुसरण करें।

II यदि कोई प्रश्न हो तो आप https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं और कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. से 1800 345 4001 (टोल फ्री) से संपर्क कर सकते हैं।

III अगर आपने ई-वोटिंग के लिए पहले ही कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. के साथ रजिस्टर करवाया है तो आप अपना वोट डालने के लिए अपना वर्तमान यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

IV भावी संसूचनाएं भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले फोलियो के यूज़र प्रोफाइल ब्योरे में आप अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को अद्यतन भी कर सकते हैं।

9. अदावी लाभांश यदि कोई है

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया है/अगर पूर्व अवधि के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं तो डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने हेतु बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें। इस संबंध में बैंक समय-समय पर बैंक के लाभांश रजिस्टर के अनुसार संबंधित शेयरधारकों को अनुस्मारक भी भेज रहा है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10बी के अनुसार सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त या अदावी लाभांश की राशि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित की जानी चाहिए।

निवेशकों को बतौर सेवा बैंक यह अनुरोध करते हुए नियमित अंतरालों में अनुस्मारक पत्र भेजता रहा है कि वे लाभांशों का दावा करें।

10. शेयरधारकों से निवेदन

क) **तुलनपत्र की प्रतियाँ**

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक महासभा के समय वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वितरित नहीं की जाएंगी, इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर या ई-मेल पते पर भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति या उसके उद्धरण को साथ लेकर आएं।

ख) **शेयरों का डीमेटीरियलाइजेशन**

अपने शेयर प्रमाणपत्र अब भी कागज़ी रूप में धारित करनेवाले शेयरधारकों से अपने शेयरों को यथाशीघ्र डीमैट करवाने का अनुरोध किया जाता है।

I B. In case a shareholder receives physical copy of the Notice of Annual General Meeting (AGM) [for shareholders whose email IDs are not registered with the Bank/ Depository Participant(s) or requesting physical copy]:

i) Initial password is provided at the bottom of the Attendance Slip for the AGM:

EVEN (E-Voting Event Number)

USER ID PASSWORD

ii) Please follow all steps from Sl. No. IA (i) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.

II) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of https://evoting.karvy.com or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd., on Tel. No.1800 345 4001 (toll free).

III) If you are already registered with Karvy Computershare Pvt. Ltd., for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

IV) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

9. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/received Dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent, for issue of duplicate Dividend Warrant. In this regard Bank is also sending reminder letters from time to time to the concerned shareholders as per Dividend Register of the Bank.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013.

As a matter of service to shareholders, Bank has been sending reminders to shareholders at regular intervals requesting them to claim the same.

10. REQUEST TO THE SHAREHOLDERS

(A) **Copies of Balance Sheet**

Shareholders are requested to note that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report or extract thereof, mailed by the Bank to them at their registered addresses and/or e-mail addresses.

(B) **Dematerialisation of Shares**

Shareholders who are still holding their shares in physical form are requested to get their shares dematerialized at the earliest.

ग) **पता या ई–मेल आईडी में परिवर्तन**

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पते में किसी परिवर्तन को निम्नलिखित को तुरंत अधिसूचित करें:

- शेयरों के डीमैट रूप में धारण के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को।
- कागज़ी रूप में धारित शेयरों के मामले में शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., यूनिटः कार्पोरेशन बैंक, कार्वि सेलेनियम टॉवर- बी, प्लाट सं. 31 व 32, वित्तीय जिला, गाचिबोवली, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032 को।
- शेयरधारकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ई–मेल पते को बैंक में पंजीकृत/अद्यतन करें ताकि बैंक ई–मेल द्वारा अपना सभी पत्राचार/सूचना/वार्षिक रिपोर्ट आदि भेज सके। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें। कागज़ी रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को, जो बैंक का शेयर अंतरण एजेंट है, यथा शीघ्र अपना ई–मेल पता भेजें/अद्यतन करें।

घ) **खातों संबंधी सूचना**

खातों से संबंधित कोई सूचना/स्पष्टीकरण मांगने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक महासभा से कम–से–कम सात दिन पहले कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक , निवेशक सेवा विभाग, प्र.का. मंगलूरु - 575 001, कर्नाटक राज्य को लिखें ताकि **बुधवार, 21 जून, 2017 को शाम 5.00 बजे** तक प्राप्त हो और बैंक सूचना तैयार रख सके।

ङ) **फोलियो का समेकन**

जो शेयरधारक शेयर कागज़ी रूप में एक से अधिक फोलियो में एक ही नाम से या नाम के उसी क्रम में संयुक्त नाम से धारित करते हैं, उनसे अनुरोध है कि एक ही फोलियो में समेकन हेतु शेयर प्रमाणपत्रों को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को भेजें।

च) **स्थिति में परिवर्तन**

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को कागज़ी रूप में धारित शेयरों के संबंध में या शेयरों के डीमैट रूप में धारण के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को निम्नलिखित सूचना तुरंत देः

क) स्थाई निवास के लिए भारत लौटने पर निवासी हैसियत में परिवर्तन।

ख) भारत के बैंक खाते से संबंधित ब्यौरे, पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या, पिन सहित बैंक का पता दें, यदि पहले नहीं दिया हो।

(C) **Change of address or e-mail ID**

Shareholders are requested to notify any change in their addresses to:

- Their respective Depository Participant, in case shares are held in dematerialised form.
- The Share Transfer Agent, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit: Corporation Bank, Karvy Selenium Tower-B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District, Gachibowli, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 in case shares are held in physical form.
- Shareholders are also requested to register/update their e-mail address with the Bank to enable the Bank to send all Communications/notices/Annual Report etc., through e-mail. Shareholders holding shares in demat mode are requested to register/ update their e-mail addresses with their respective Depository Participants. Shareholders holding physical shares are requested to send/update their e-mail address with M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., the Share Transfer Agent of the Bank, at the earliest.

(D) **Information on Accounts**

Shareholders seeking any information/clarification with regard to annual accounts are requested to address their letters to the Company Secretary, Corporation Bank, Investor Services Department, Head Office, Mangaluru – 575 001, Karnataka State at least seven days in advance of the Annual General Meeting so as to reach latest by **Wednesday, June 21, 2017 by 5.00 p.m.** to enable the Bank to keep the information ready.

(E) **Consolidation of Folios**

Shareholders, who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names, are requested to send the share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., for consolidation into a single folio.

(F) **Change of Status**

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., in respect of shares held in physical form or to inform their respective Depository Participants if shares are held in dematerialised form immediately of:

a) the change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

b) the particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

छ) **शेयरधारकों के मताधिकार:**

उक्त अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अधीन, कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के अनुसार, वार्षिक महासभा की तारीख से पहले रजिस्टर की बंदी की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को हस्त प्रदर्शन पर एक वोट हेगा और चुनाव के मामले में उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट होगा।

ज) **अन्य सूचना**

क) पर्यावरण सजगता पहल के समर्थन में बैंक ने सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 36 के प्रावधानों के अनुसार, अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट/बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत कारवाई है, उन्हें वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियाँ भेजने का निर्णय लिया है। लेकिन सदस्य कृपया यह नोट करें कि 20वीं वार्षिक महासभा की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com पर भी उपलब्ध होगी। पूर्वोक्त दस्तावेज़ों की कागज़ी प्रतियाँ निरीक्षण हेतु कार्यदिवसों पर सामान्य कारोबार समय के दौरान मंगलूरु में बैंक के प्रधान कार्यालय में भी उपलब्ध होंगी। ई-संसूचना के लिए पंजीकृत करवाने के बावजूद, सदस्य, अनुरोध करने पर डाक से निशुल्क कागज़ी रूप में ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। किसी संसूचना के लिए शेयरधारक बैंक की विशिष्ट ईमेल आईडी isd@corpbank.co.in को या डाक द्वारा भी अनुरोध भेज सकते हैं।

ख) शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार-कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

(G) Voting Rights of Shareholders:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

In terms of Clause 68(i) of Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder as on the date of the closure of the Register, prior to the date of the Annual General Meeting, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(H) **Other information**

a) In support of the green initiative, the Bank is sending soft copies of the Notice of Annual General Meeting and Annual Report to all the shareholders who have registered their e-mail ids with their Depository Participant/Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, as per the provisions of Regulation 36 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. However, Members may note that the Notice of the 20th Annual General Meeting and the Annual Report for 2016-17 will also be available on the Bank's website www.corpbank.com for their download. The physical copies of the aforesaid documents will also be available at the Bank's Head Office at Mangaluru, for inspection during normal business hours on working days. Even after registering for e-communication, members are entitled to receive such communication in physical form, upon making a request for the same by post free of cost. For any communication, the shareholders may also send requests to the Bank's dedicated e-mail ID: isd@corpbank.co.in or by post.

b) Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान: मंगलूरु
दिनांक: 29.05.2017

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

Place : Mangaluru
Date : 29.05.2017

व्याख्यात्मक कथन

मद संख्या 2

क) बैंक बैंकिंग और संबंधित क्रियाकलापों के कारोबार में है । संप्रति बैंक की प्राधिकृत पूँजी ₹3000 करोड़ (रुपए तीन हज़ार करोड़ मात्र) है। 31 मार्च, 2017 को बैंक की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी 28 सितंबर, 2016 को केंद्र सरकार को 12.45 करोड़ इक्विटी शेयरों के अधिमानत: आबंटन के फलस्वरूप ₹204.50 करोड़ से बढ़ाकर ₹229.41 करोड़ हो गया है।

ख) बासेल III मानदंड के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 को बैंक में निम्नांकित पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखने की आवश्यकता है:

बासल – III के अंतर्गत	मार्च–2017 तक बेंचमार्क (%)
सामान्य इक्विटी टायर 1 पूंजी (सीईटी 1 पूंजी)	5.50
पूंजी संरक्षण भंडार	1.25
अतिरिक्त टायर 1 (एटी 1 पूंजी)	1.50
कुल टायर 1 पूंजी	8.25
टायर–II	2.00
कुल सीआरएआर	**10.25**

ग) वर्तमान में बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी का 70.76% है । 31 मार्च, 2017 को जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजीगत निधियाँ निम्नानुसार हैं :

बासेल III	31.03.2017 (राशि करोड़ रुपये में)	जोखिम भारित आस्तियों के मुक़ाबले पूंजीगत निधि का % (बासेल – III के अंतर्गत) %
जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	150146.75	
टायर – I पूंजी	13367.88	8.90
टायर – II पूंजी	3623.90	2.42
कुल पूंजीगत निधि	16991.78	11.32

घ) अपेक्षित कारोबार वृद्धि को प्राप्त करने और साथ ही स्वस्थ सीआरएआर को बनाए रखने के लिए बैंक को बाजार से अतिरिक्त पूंजी जुटाने की आवश्यकता है।

ङ) नियामक अनुपालनों को सुनिश्चित करने और कारोबार वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने व उसमें वृद्धि करने तथा सामान्य उधारकारी उद्देश्य से अतिरिक्त पूंजीगत निधि को प्राप्त करने के लिए बैंक सेबी

EXPLANATORY STATEMENT

Agenda Item No. 2

a) The Bank is in the business of the banking and related services activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is ₹3000 crore. The paid-up equity share capital of the Bank as on 31st March, 2017 was ₹229.41 crore, which was increased from ₹ 204.50 crore on 28th September, 2016 pursuant to preferential allotment of 12.45 crore equity shares to the Central Government.

b) Under Basel III norms, the Bank is required to maintain the following Capital Adequacy Ratios as on March 31, 2017.

Under Basel – III	Benchmark by March – 2017 (%)
Common Equity Tier 1 Capital (CET1 Capital)	5.50
Capital Conservation Buffer	1.25
Additional Tier 1 (AT 1 Capital)	1.50
Total Tier 1 Capital	8.25
Tier - II	2.00
Total CRAR	**10.25**

c) Presently, shareholding of Government of India in the Bank is 70.76 % of the total paid-up capital of the Bank. The capital fund to Risk Weighted Assets as on March 31, 2017 was as under.

Basel III	31.03.2017 (Amount ₹ in crore)	% of capital funds to Risk Weighted Assets (under Basel III) %
Risk Weighted Assets (RWA)	150146.75	
Tier – I Capital	13367.88	8.90
Tier – II Capital	3623.90	2.42
Total Capital Funds	16991.78	11.32

d) To support the projected business growth and at the same time maintain healthy CRAR, the Bank may require raising additional capital from the market as well.

e) In order to ensure regulatory compliances and to meet the requirement of additional capital funds for expanding and achieving the targeted business growth and for general lending purposes, the Bank proposes to issue equity shares

(आईसीडीआर) विनियमों के अंतर्गत ₹3500 करोड़ की समग्र सीमा तक बासेल III दिशा निदेशों के अनुसार अतिरिक्त टायर–I या टायर–II पूँजी के रूप में आहर्ता प्राप्त अन्य प्रतिभूतियों को भी सार्वजनिक आफर या राइट इश्यू या अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट या ऐसे अन्य समुचित उपायों पर अनुवर्तन के द्वारा ऐसे मूल्य पर प्रत्येक ₹2 के इक्विटी शेयरों को निर्गम करने का प्रस्ताव करता है।

च) उपरोक्त कारणों से निर्गम के शर्तों को अंतिम रूप देने हेतु बोर्ड को पर्याप्त लोचशीलता और विवेक प्रदान करने हेतु उक्त संकल्प के लिए बोर्ड को सक्षम करने का प्रस्ताव करता है। इस उद्देश्य से बैंक को अपने शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतएव उक्त प्रस्ताव हेतु आपकी सहमति के लिए निवेदन किया जाता है।

छ) वर्तमान संकल्प उपयुक्त समय, तरीका, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयरों और या टायर – I/टायर – II पूंजी को जारी करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को सक्षम बनाने का प्रस्ताव करता है।

ज) विशेष संकल्प के आलोक में इक्विटी शेयरों का प्रस्तावित निर्गमीकरण समस्त लागू कानूनों के प्रावधान के अनुरूप होगा।

झ) आपके निदेशकगण इस नोटिस में सर्वप्रथम इस विशेष संकल्प की अनुशंसा करता है।

बैंक का कोई भी निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधन व्यक्ति और उनके संबंधियों को अपनी शेयरधारिता की सीमा तक, को छोड़कर उपरोक्त संकल्प(पों) में न तो कोई हित है और न ही किसी प्रकार से संबन्धित है।

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस.के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूरु
दिनांक : 29.05.2017

of ₹2 each at such price as may be determined close to the issue, by way of follow-up on Public Offer or Rights Issue or Qualified Institutional Placement(s), or such other suitable means under the SEBI (ICDR) Regulations and also other securities qualifying as Additional Tier–I or Tier–II capital as per Basel III Guidelines with an overall limit of ₹3500 crore.

f) For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested to the above proposal.

g) The present resolution is also proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue the equity shares, and or Tier-I/ Tier-II capital at an appropriate time, mode, premium and other terms.

h) The proposed issuance of Equity Shares in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

i) Your Directors recommend, the Special Resolutions as set out in the Notice.

None of the Directors of the Bank, Key Managerial Persons and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

Place : Mangaluru
Date : 29.05.2017

कार्पोरेशन बैंक
CORPORATION BANK
प्रधान कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग
Head Office: Mangala Devi Temple Road
मंगलूरु MANGALURU-575001

क्र.सं. Sl. No. :

वार्षिक महासभा के लिए उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र
ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS FOR ANNUAL GENERAL MEETING

दिनांक: 28 जून, 2017 समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे स्थान : सभागृह, सहस्राब्दि भवन कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय मंगलूरु – 575 001.	**Date : 28th June 2017** **Time: 10.30 A. M.** **Place: Auditorium, Millennium Building** **Corporation Bank, Head Office,** **Mangaluru-575001.**

उपस्थिति पत्रक ATTENDANCE SLIP
(प्रवेश के समय जमा किया जाए To be surrendered at the time of entry)

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member/प्रॉक्सीProxy/ अधिकृत प्रतिनिधि Authorised Representative)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की सं. No. of Shares

टिप्पणी :संयुक्त धारिता के मामले में केवल प्रथम शेयरधारक को प्रवेश दिया जाएगा।
Note: Entry restricted only to the first named shareholder in case of joint holding.

.....
उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of Shareholder/Proxy/Representative present

.....X.....

प्रवेश पत्र ENTRY PASS

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member/प्रॉक्सीProxy/ अधिकृत प्रतिनिधि Authorised Representative)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की सं. No. of Shares

इलेक्ट्रानिक वोटिंग विवरण ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

इवन EVEN (ई-वोटिंग इवेंट नंबर E-VOTING EVENT NUMBER)	यूजर आई डी USER ID	पासवर्ड PASSWORD

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैठक हॉल में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र को विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी, प्रवेश आवश्यकतानुसार आगे सत्यापन/जाँच के अधीन होगा। किसी भी हालत में बैठक हॉल में प्रवेश द्वार पर उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी।
Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-entry Pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the Shareholders/Proxy holders/ Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.
पी.एस. : बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन का वितरण नहीं किया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां स्थल पर वितरित नहीं की जाएंगी।
P.S. : No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting. Copies of the Annual Report will not be distributed at the venue.

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय: मंगलूरु – 575 001

फॉर्म 'बी'

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं. सीबीई (यदि डीमेट न किया गया हो)
डीपीआईडी सं. ग्राहक आईडी सं. (यदि डीमेट किया गया हो)

मैं/हम, राज्य के जिले केका/के निवासी **कार्पोरेशन बैंक** का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा राज्य केजिले के निवासी श्री/श्रीमती को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर राज्य के जिले के निवासी श्री/श्रीमतीको **बुधवार, 28 जून, 2017 पूर्वाह्न10.30 बजे को, सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलूरु** में आयोजित होने वाली बैंक के शेयरधारकों की **उन्नीसवीं महासभा** में तथा इसके अधिस्थगन में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं ।

..... माह के दिन, 2017 को हस्ताक्षरित।

कृपया पंद्रह पैसे का रसीदी टिकट चिपकाएं

.....
प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

.....
प्रथम धारक/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

.....

.....

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह ज़रूरी है कि,
 क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
 ख. संयुक्त धारकों के मामले में यह सदस्य-रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
 ग. किसी कार्पोरेट निकाय के मामले में यह सामान्य मोहर अगर कोई है, के साथ इसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
2. प्रॉक्सी की कोई लिखत जिस में शेयरधारक के अंगूठे का निशान है, वैध होगी बशर्ते यह किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार, एश्योरैंस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या कार्पोरेशन बैंक के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की गयी हो।
3. प्रॉक्सी के साथ
 क. मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया या
 ख. नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति महासभा प्रारंभ होने की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् **शुक्रवार 23 जून, 2017** को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् **शाम 5.00 बजे** तक या उसके पहले कार्पोरेशन बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
4. यदि संबद्ध मुख्तारनामा कार्पोरेशन बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि उल्लिखित की जानी चाहिए ।
5. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत् स्टैम्प न लगाया जाए।
6. बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
7. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप में दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में प्रदान की गई है तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
8. शेयरधारक जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, ऐसी लिखत जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिगत रूप से वोट डालने का हकदार नहीं होगा।
9. कार्पोरेशन बैंक के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
10. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि यह फार्म ''ख'' में न हो।

Corporation Bank

Head Office : Mangaluru – 575 001

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. CBE (If not Dematerialised)
DPID No. Client ID No. (If Dematerialised)

I/We, Resident of in the District of in the State of.....being a shareholder/s of CORPORATION BANK, hereby appoint Shri/Smt. resident of ……..……..... in the district ofin the State of.....or failing him/her, Shri/Smt.resident of in the District of in the State of as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held at 10.30 a.m. on Wednesday, 28th June, 2017, at MILLENNIUM BUILDING, CORPORATION BANK, HEAD OFFICE, MANGALURU and at any adjournment thereof.

Signed this …….. day of …… 2017.

Please affix fifteen paise revenue stamp

..... Signature of the Proxy

..... Signature of the first holder/sole holder

Name :

Address :

.....

.....

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. The instrument of proxy to be valid,
 a. in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing.
 b. in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing.
 c. in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Corporation Bank.
3. The proxy together with
 a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Corporation Bank, not later than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. **5.00 p.m. of Friday 23rd June, 2017**.
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Corporation Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of CORPORATION BANK.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".